न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

FORM NO. 111

फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

प्रकरण संख्या 100/2021, उनवान— ईश्वर बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम
29.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित खसरा नम्बर 264/1 रकबा 0.64 है0 ग्राम कोलवा में से 0.08 है0 से अतिक्रमण हटा लिया है। इस बाबत रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 26.09.2019 को अपास्त किया जावें। वकील अपीलान्ट कि बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर कि रिपोर्ट दिनांक 07.10.2019 में अंकित किया है कि ग्राम कोलवा के खसरा नं. 264/1 रकबा 0.64 है0 पर वर्तमान में ईश्वर पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी कोलवा ने 0.08 है0 पर तारबंदी कर किये गये अतिक्रमण को हटा लिया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस स्तर पर प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर का प्रकरण संख्या 49/2019 सरकार बनाम ईश्वर में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे। (अति. जिला कलक्टर) नीम का थाना (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)